

19.5.2023

न्यायालय:- भूमि सुधार उपसमाहर्ता, श्री बंशीधर नगर।

विविध अपील वाद सं0 06/2014-15

शामदेव महतो अपीलार्थी।

बनाम

सीता राम बैठा वगैरह प्रत्यर्थी।

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा राजस्व ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 11.81 एकड़ भूमि में से रकबा 3.00 एकड़ भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है जिसे विपक्षी अपने नाम पर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मांग कायम करा लिया है जिसे रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, केतार से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, केतार से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

उभय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:- 01 ग्राम पाचाडुमर थाना व अंचल भवनाथपुर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 8.81 एकड़ तथा अन्य प्लॉट की भूमि रकबा 3.00 एकड़ कुल रकबा 11.81 एकड़ भूमि की जमाबंदी विपक्षी सीता राम बैठा वगैरह के पूर्वज रामधनी राम, रामचरित्र राम, लक्ष्मण बैठा पेशरान पदारथ बैठा के नाम से मांगपंजी 2 के पेज न0 30/1 पर कायम है।

02 जमुना बैठा वगैरह ने ग्राम पाचाडुमर के खाता नं0 165 प्लॉट नं0 1706 रकबा 8.81 एकड़ भूमि के सीमांकन हेतु विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर के समक्ष आवेदन दिया जिसपर एक सीमांकन वाद सं0 27/2013-14 खुला। उक्त वाद में प्लॉट नं0 1706 रकबा 8.81 एकड़ भूमि का सीमांकन किया गया जिसमें रकबा 5.81 एकड़ भूमि पर जमुना बैठा वगैरह का दखल कब्जा पाया गया तथा रकबा 3.00 एकड़ भूमि पर शामदेव महतो आवेदक का दखल कब्जा पाया गया।

03 सीमांकन वाद सं0 27/2013-14 में हल्का कर्मचारी ने यह प्रतिवेदन दिया है कि मांगपंजी 2 के पेज नं0 30/1 पर जो जमाबंदी रामधनी राम वगैरह के नाम से कायम है उसकी जमाबंदी कायम करने का कोई आधार नहीं है।

04 ग्राम पाचाडुमर के मांगपंजी 2 के पेज नं0 30/1 पर जो जमाबंदी रामधनी राम व रामदेनी बैठा वगैरह के नाम से कायम है। उसे तत्काल खारिज किया जाना न्यायहित में उचित है।

लगातार

आदेश की क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

क्रम संख्या
तारीख

रामदेनी बैठा
पदाधिकारी के

05 विपक्षीगण ने हल्का कर्मचारी वगैरह को मेल में लाकर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के ग्राम पाचाडुमर के मांगपंजी 2के पेज नं0 30/1 पर रकबा 11.81 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम करा लिए है जिसे तत्काल स्थगित करते हुए उसकी छान-बीन कर उक्त जमाबंदी को रद्द करने हेतु सक्षम पदाधिकारी के समक्ष अनुशंसा के साथ अभिलेख भेजना न्यायोचित है।

अतः आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी को स्थगित करते हुए प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी विपक्षीगण के पूर्वज के नाम से ग्राम पाचाडुमर के मांगपंजी 2 के पेज नं0 30/1 पर कायम है उसे रद्द करने हेतु सक्षम अधिकारी के पास अभिलेख भेजने की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 सीमांकन वाद सं0 27/2013-14 का छायाप्रति 10 फर्द

अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा पत्रांक 99 दिनांक 25.10.2016 से प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 3.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी विविध वाद सं0 12/2005-06 उपसमाहर्ता भूमि सुधार नगर उंटारी के आदेशानुसार कायम किया गया है जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी के पत्रांक 38/रा0, दिनांक 19.02.2013 के आलोक में सामदेव महतो पिता स्व0 दाशा महतो खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 3.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी पर रोक लगा दी गई है, जमाबंदी संदेहात्मक प्रतित होता है जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। मौजा पाचाडुमर खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 8.81 प्लॉट सं0 1697 रकबा 2.40 एकड़ भूमि का डिमाण्ड वर्ष 1974-75 से पूर्व से चलते आ रहा है खाता सं0 165 वो 90 प्लॉट सं0 1694, 1695, 1692, 1697, 1706 कुल रकबा 4.82 एकड़ का डिमाण्ड रामचरिचर बैठा वगैरह के नाम से वर्ष 1974-75 से पूर्व से चलते आ रहा है। वर्तमान सर्वे में रामदेनी बैठा वो राम चरितर बैठा लक्ष्मण बैठा पिता पदारथ बैठा के नाम से खाता खुला है शामदेव महतो पिता दाशा महतो के नाम से वर्तमान सर्वे में खाता नहीं खुला है।"

पुनः अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा पत्रांक 108 दिनांक 17.03.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 3.00 एकड़ भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। जिसका मांग पंजी के पेज नं0 38 पर रामदेनी बैठा के नाम से चलता है। वर्तमान में हाल सर्वे में भी प्रश्नगत भूमि का खाता रामदेनी बैठा वगैरह के नाम पर अन्य खाता खेसरा के साथ कुल रकबा 23.85 डीसमील का मांग

लगातार

Page No. 2

1	2	3
<p>की क्रम संख्या और तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p> <p>रामदेवी बैठा वगैरह के नाम से 582/1 पर चलता है वर्तमान में अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में धारा 145 चलने के कारण भूमि परती प्रथम पक्ष शामदेव महतो पिता दाशा महतो के नाम से प्रश्नगत भूमि का मांग विविध वाद सं० 127/2005-06 के आधार पर 113/5 पर चलता है। जिस मांग को अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी के ज्ञापांक 38/रा०, दिनांक 19.02.2013 के अनुसार रोक लगा दी गयी है।"</p> <p>सीमांकन वाद सं० 27/2013-14 के अनुसार अंचल अधिकारी के द्वारा अभिलेखबद्ध किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं० 165 प्लॉट सं० 1706 रकबा 8.81 एकड़ भूमि गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है जिसका डिमाण्ड अन्य प्लॉट के साथ रकबा 11.81 एकड़ का रामधनी राम, रामचरित्र, लक्ष्मण बैठा पिता पदारथ बैठा के नाम से पेज नं० 30/1 पर चलता है परन्तु पंजी 2 में डिमाण्ड खुलने का आधार अंकित नहीं है।" तथा अंचल अमीन के द्वारा मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं० 165 प्लॉट सं० 1706 रकबा 8.81 एकड़ भूमि का मांपी किया गया। प्लॉट नं० 1706 में रकबा 5.81 एकड़ भूमि पर आवेदक जमुना बैठा वगैरह तथा रकबा 3.00 एकड़ भूमि शामदेव महतो के दखल कब्जे में है।"</p> <p>प्रत्यर्थागण के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अपील आवेदन पत्र का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित अपील आवेदन पत्र अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि ग्राम पाचाडुमर के खाता सं० 165 प्लॉट सं० 1706 रकबा 8.81 एकड़ तथा अन्य प्लॉट की भूमि रकबा 3.00 एकड़ कुल रकबा 11.81 एकड़ भूमि की जमाबंदी विपक्षी सीता राम बैठा वगैरह के पूर्वज रामधनी राम, रामचरित्र राम, लक्ष्मण बैठा पेशरान पदारथ बैठा के नाम से मांगपंजी 2 के पेज नं० 30/1 पर कायम है। प्लॉट सं० 1706 में रकबा 3.00 भूमि पर आवेदक शामदेव महतो के द्वारा अपील दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा सीमांकन वाद सं० 27/2013-14 में अभिलेखबद्ध किया गया है कि प्रश्नगत जमाबंदी के पेज नं० 30/1 पर का डिमाण्ड खुलने का आधार अंकित नहीं है। भूमि का मांपी प्रतिवेदन में प्लॉट नं० 1706 में रकबा 5.81 एकड़ भूमि पर जमुना बैठा वगैरह तथा रकबा 3.00 एकड़ भूमि शामदेव महतो के दखल कब्जे में है।" स्पष्ट है कि यह मामला एक ही भूमि का मांग दोहरी जमाबंदी/अवैध जमाबंदी से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</p> <p>3</p>



लगातार

की क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2


1

इसलिए इस विविध वाद में आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।
अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में आवेदक के द्वारा दाखिल
अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। इस आशय के साथ वाद
की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


नूमे सुधार उपसमाहृता,
श्री बंशीधर नगर।


भूमि सुधार उपसमाहृता,
श्री बंशीधर नगर।